21 मदनसिंह पुत्र धीसुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कानजी का खेड़ा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
22 मेमादेवी पत्नि केशव चन्द जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
23 मेवाराम पुत्र रत्ता जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी खाखरडा तहसील रायपुर जिला–भीलवाडा (राज0)
24 मियाराम पुत्र नगजीराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलासा का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
25 रूकमणीदेवी पत्नि स्व0अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
26 राजमल पुत्र अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
27 लाली देवी पत्नि शकर लाल जाति रैबारी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
28 लीलाप्यारा पत्नि केवलराम जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला–भीलवाडा (राज0)
29 शकरलाल पुत्र मागीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
30 नाबालिग सुखदेव पुत्र केशव चन्द्र सरंक्षक माता मेमदेवी पत्नि केशवचन्द्र जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
31. सीता पुत्री अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
32. सोरीदेवी पत्नि मियाराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलास का खेड़ा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
33. सोहन लाल पुत्र बशीलाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
34. हरदेव पुत्र आशु जाति राईका आयु वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
35. हरदेव पुत्र दुदा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
36. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
37. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा–151 जा0दी0

स्थित :–
श्री अशोक कुमार लखारा ——अधिवक्ता वादी
श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 27
एकपक्षीय– ——प्रतिवादी संख्या 01 से 26, 28 से 353.
रोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 05

:: निर्णय ::

दिनांक– 01.04.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीग के विरुद्व धारा 53 आर. .एक्ट के तहत सरहद ग्राम खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 85 मे आराजी नम्बर 251 रकबा 6693 हैक्टयर के विभाजन हेतु पेश किया गया, जिसमे दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 27 ो ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत स आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 27 लीला द्वारा न्यायालय ीमान् के समक्ष इसी सम्पति व विषयवस्तु व चाहा गया अनुतोष के संबध मे विभाजन का

उपखण्ड अधिकारी पटन

वादपत्र पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 190/2023 राजस्व वाद कायम हुए, जिसमे प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी व बटवाडा प्रस्ताव मे उक्त प्रकरण के वादी (निरस्तारित प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 17) की बहस सुनी जाने के बाद अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनाक 24/03/2025 को जारी फरमा दी गयी। जिससे उक्त प्रकरण मे कोई अनुतोष शेष नही रहा है। इस कारण से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर खारीज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण की नकल वादी के अधिवक्ता को दिलायी गयी व वादी के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही कर सीधे बहस की गयी व वादी के अधिवक्ता द्वारा असत्य तथ्यो पर प्रार्थनापत्र पेश करने से खारीज करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 27 द्वारा दोराने बहस प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 190/2023 राजस्व वाद मे अंतिम निर्णय व डिक्री की प्रति पेश करते हुए विभाजन से वादी नैना लाल का हक हिस्सा भी अलग बटवाडा प्रस्ताव व अतिम निर्णय व डिक्री के जरिये अलग दर्ज होने का आदेश जारी करना बताया गया।

प्रार्थनापत्र एव प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात के संबध मे प्रकरण संख्या 190/2023 राजस्व वाद मे विधिवत बटवाडा हो चुका है व वादी नैना लाल का हक हिस्सा भी केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे न्यायालय आदेश की पालना मे अलग से दर्ज होना शेष है। अतः उक्त वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादी को प्रकरण संख्या 190/2023 राजस्व वाद जिसमे वादी स्वय पक्षकार है, जसे प्राप्त हो चुका हे। अतः वादपत्र खारीज होने योग्य है।

:: आदेश ::

प्रतिवादी संख्या 27 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारीज किया जाता है व साथ ही वादपत्र के साथ निस्तारित प्रकरण संख्या 222/2023 राजस्व प्रर्थनापत्र नैना बनाम अणछी मे पारित मूल वाद के निस्तारण तक अंतिम स्थगन आदेश दिनांक 22/10/2024 भी मूल वाद निस्तारित होने से खारीज माना जावे व सरहद ग्राम खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 85 मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 251/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 528/251 रकबा 1.6314 हैक्टयर, आराजी नम्बर 527/251 रकबा 0.0379 हैक्टयर के संबंध मे पुर्व मे जारी स्थगन आदेश स्वतः निरस्त माना जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Vijay
(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)